अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

कमांक एफ 27(74) ग्राविवि / अनु–5 / जीकेएन / न्यूनतम मजदूरी दर / 2014–15 जयपुर, दिनांक 21 जून, 2018

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।

विषय :– अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के सम्बंध में।

प्रसंगः– श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 5(6) न्यू.म. / श्रम / 2000 / पार्ट / 11905 एवं 11916 दिनांक 07.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 07.06.2018 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर कमशः **रूपये 213 / – व रूपये 223 / –** प्रति दिवस पुनरीक्षित करते हुये इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी की जाती है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रम विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 07.06.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय निर्माण / विकास कार्यों के लिए उपयोग हेतु आदेश जारी होने की तिथि से लागू करने के साथ–साथ इन पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्द्राज / अपडेशन वर्ष 2018–19 की बीएसआर हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर "बीएसआर सॉफ्ट" में नहीं किया जावेगा। अतः उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2018–19 की बीएसआर सॉफ्ट में दर्ज / इन्द्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा उक्तानुसार अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को किया जावे।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव परावि।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एंव परावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
6. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

21/6/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि